उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल के उच्च न्यायालय में

न्यायाधीश एस0के0. मिश्रा, ए0सी0जे0.

और

श्री न्यायाधीश आर0सी0 खुल्बे, जे।

लिखित याचिका (एस/बी) नहीं। 2020 का 280 01 अप्रैल, 2022

रिट याचिका (एस/बी) संख्या 280 /2020

01 अप्रैल 2022

मध्य:

अनीता शर्मा..... .याचिकाकर्ता।

और।

उत्तराखंड राज्य और आदि.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता =विद्वान अधिवक्ता श्री पीयूष गर्ग,

उत्तराखंड राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता:.....श्री एस0एस0 चौधरी

राज्य के लिए संक्षिप्त धारक।

प्रत्यर्थीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता। सं 3 और 4: डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता श्री रफत मुनीर अली के साथ ।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता सं0 10: श्री अजय वीर पुंडिर, विद्वान अधिवक्ता

विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर, न्यायालय ने निम्नलिखित किया

निर्णय (द्वारा श्री एस0के0 मिश्रा, ए0सी0जे0.)

इस मामले में, याचिकाकर्ता ने दिनांक 24.08.2020 के आक्षेपित आदेश,जिसके द्वारा प्रत्यर्थी सं0 07 ने याचिकाकर्ता को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी है, संलग्नक संख्या 1 को और अपास्त करने के लिए एक सरशियोरेराई की रिट जारी करने का अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध इसके बाद संक्षिप्तता के लिए विश्वविद्यलाय से संदर्भित बीएसएम (पीजी) कॉलेज, रुड़की की प्रबंधन समिति द्वारा पारित आदेश को चुनौती दे रही है।

2 मामले के तथ्य इस स्तर पर विवाद में नहीं हैं।याचिकाकर्ता को सहारनपुर जिले (अब हरिद्वार) में बीएसएम पीजी कॉलेज, रुड़की में अंग्रेजी में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था। दिनांक 09.11.2000 को उत्तराखंड राज्य के निर्माण के बाद, बीएसएम (पीजी) कॉलेज, रुड़की उत्तराखंड राज्य के भीतर संचालित हो रहा था। दिनांक 19.01.2015 को याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ अभिकथित कदाचार के संबंध में बीएसएम (पीजी) कॉलेज, रुड़की, जिला हरिद्वार के प्रबंधन समिति द्वारा एक जांच समिति का गठन किया गया था। आरोप था कि याचिकाकर्ता ने कॉलेज में अनुपस्थिति रहते हुए 30–31 मार्च, 2012 को लैंसडाउन में एक सेमिनार में भाग लिया और स्टेशन से बाहर होने के बावजूद प्रासंगिक उपस्थिति रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर किए। हालांकि, इस तरह की जांच कभी भी अपने तार्किक निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। दिनांक 11.02.2019 को, प्रत्यर्थी संख्या 10 ने दिनांक 11.02. 2019 को संख्या 236/2018–19 भेजा, जिसमें कहा गया है कि उसने उक्त कॉलेज की प्रबंधन समिति के सचिव को एक रिपोर्ट दी है। यह अभिकथित गया कि याचिकाकर्ता को

ठीक से नहीं सुना गया था और प्रत्यर्थी संख्या 10 के समक्ष उसके मामले का प्रतिनिधित्व करने का अवसर नहीं दिया गया था। दिनांक 16.02.2019 को, व्यथित होने पर, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 10 से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी मांगी। दिनांक 20.08.2020 को पहली बार,

याचिकाकर्ता को एक नोटिस दिनांक 21.08.2020 को कालेज के प्रिंसिपल के सामने पेश होने के निर्देश के साथ जारी किया गया था।

दोपहर 12.00 बजे दिनांक 21.08.2021 को, याचिकाकर्ता प्रिंसिपल के सामने पेश हुई, और अपना बचाव करने के लिए 15 दिनों के समय के लिए अनुरोध किया। दिनांक 24.08. 2020 को, जांच समिति ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश जारी किया। इसलिए यह रिट याचिका दायर की गयी है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पीयूष गर्ग द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक बहस इस प्रकार हैं:–

सबसे पहले, इस मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है। इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 7 द्वारा पारित आदेश अभिखंडित एवं अपास्त किये जाने योग्य है।

दूसरा, प्रत्यर्थी संख्या. 7 द्वारा पारित अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश डी हॉर्स अधिकार क्षेत्र है। क्योंकि याचिकाकर्ता की सेवा शर्तों का मार्गदर्शन करने वाले नियमों में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के किसी भी दंड का प्रावधान नहीं है।

4. स्वीकार्य रूप से इस मामले में, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश मौलिक नियम, 1942 जैसा कि के तहत प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए दी गयी है।

हालांकि उत्तराखण्ड राज्य के द्वारा अपने प्रति–शपथ पत्र में, पैराग्राफ नंबर. 6 में कहा गया है कि मौलिक नियम निजी रूप से प्रबन्धनहीन पर लागू नहीं हैं, बल्कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों/कॉलेजों पर लागू होते हैं। उठाई गई दलीलों पर ध्यान दिया जाना उचित है। जो निम्नतः हैः–

"6. कि रिट याचिका के पैरा संख्या 14 से 22 की सामग्री के उत्तर में, यह स्वीकार किया जाता है कि न.च. का नियम 56 (ब)। फाइनेंशियल हैंडबुक के मौलिक नियम, अध्याय–II, भाग–2 से 4 केवल सरकारी कर्मचारी के संबंध में लागू होते हैं। संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए अधिनियम द्वारा शासित निजी सहायता प्राप्त महाविद्यालय के शिक्षण और गैर–शिक्षण कर्मचारी। BSM (P.G.) कॉलेज, रेलवे रोड, रुड़की, जिला हरिद्वार हेमवती नंदन बहुगुणा (केंद्रीय) विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल से संबद्ध एक गैर–सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज है, यह कॉलेज हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल के अधिनियम द्वारा शासित है।

अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश में, रेफ. संख्या 57/2020–21, दिनांक 24.08.2020, प्रत्यर्थी सं0 .7, i-e. सचिव, प्रबंध समिति अपंजीकृत, BSM (P.G.) कॉलेज, रेलवे रोड, जिला हरिद्वार, पृष्ठ संख्या 6, पैराग्राफ 3 में उल्लेख किया गया है कि जानबूझकर किए गए अपराध की पुष्टि पर अनीता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, BSM (P.G.) कॉलेज, रेलवे रोड, रुड़की ने अपनी शैक्षिक और वित्तीय अनियमितताओं (अपनी वार्षिक वेतन वृद्धि में वृद्धि) में कॉलेज प्रबंधन समिति और कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ अनुचित दबाव बनाने के लिए झूठी और भ्रामक शिकायतें की हैं, जिससे पता चलता है कि हेमवती नंदन बहुगुणा (केंद्रीय) विश्वविद्य ालय, श्रीनगर के संबंधित खंड, सेवा नियमों का उल्लंघन किया गया है। अनीता शर्मा को भी इस तरह की हरकतें करने की आदत है।उनके इस तरह के कृत्यों से कॉलेज के अनुशासन

और प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।इस आधार पर, उनकी सेवाओं को समाप्त करने और उन्हें सेवा से हटाने के लिए पर्याप्त आधार है।

इस प्रकार, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय, श्रीनगर परिनियामावली, 2000 के तहत आरोप तय किए गए थे, और वित्तीय हस्त पुस्तिका उ0प्र0 मौलिक नियम, अध्याय II भाग 02 से 04 के तहत अनिवार्य रूप से सेवानिव्त्त किया गया।

U.P. की खंड 56 (C) वित्तीय हस्तपुस्तिका के मौलिक नियम, अध्याय–II, भाग–2–4 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैंः–

(ग) खंड (क) अथवा (ख) खण्ड में किसी बात के होते के बावजूद

नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी समय, किसी सरकारी कर्मचारी (चाहे स्थायी हो या अस्थायी) को सूचना द्वारा, कोई कारण बताए बिना, उससे पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा कर सकता है या ऐसा सरकारी कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी को सूचना द्वारा ख्वैंतालीस वर्ष, की आयु प्राप्त करने के बाद या बीस वर्ष की अर्हता सेवा पूरी करने के बाद किसी भी समय स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो सकता है।

खंड 56 (ग) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह केवल सरकारी कर्मचारी (चाहे स्थायी हो या अस्थायी) पर लागू होता है। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारी को वित्तीय हस्त पुस्तिका के अध्याय II भाग–2–4 उ0प्र0 मौलिक नियम 9 (7–ख) में परिभाषित किया गया है। मौलिक नियम, अध्याय–प्प, वित्तीय हैंडबुक का भाग–2–4।

नियम 9 (7–ख) प्रदान करता है किः

इन नियमों के प्रयोजनों के लिए सरकारी कर्मचारी से भारत में राज्य सरकार के अधीन किसी सिविल पद या सिविल सेवा में नियुक्त और उत्तर प्रदेश के मामलों के संबंध में सेवारत व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी सेवा की शर्तें अधिनियम की खंड 241 (2) (ख) के अधीन राज्यपाल द्वारा विहित की गई हैं या की जा सकती हैं।

तो इन नियमों के उद्देश्य के लिए सरकारी कर्मचारीः एक ऐसा व्यक्ति जो –

(i) एक सिविल पद या एक सिविल सेवा;

(ii) भारत में राज्य सरकार के अधीन; तथा

(iii) उत्तर प्रदेश के मामलों के संबंध में सेवा करना;

(iv) जिनकी सेवा की शर्तें राज्यपाल द्वारा निर्धारित की गई हैं या की जा सकती हैं, नियुक्त किया गया हो।

एक व्यक्ति के उद्देश्य के लिए सरकारी कर्मचारी है

U.P. वित्तीय हैंडबुक के मौलिक नियम, अध्याय–II, भाग–2 से 4 तक के उद्देश्य से एक व्यक्ति केवल तभी जब वह उक्त नियमों के नियम 7 (ख) में उल्लिखित सभी चार शर्तों को पूरा करता है सरकारी कर्मचारी होगा। हालांकि, वर्तमानमामले में, हालांकि याचिकाकर्ता एक सिविल पद धारण कर रहा है, लेकिन वह एक सरकारी कर्मचारी नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता के मामले में नियम 56 (सी) लागू नहीं होता है। U.P. के नियम 7 (b) की सही प्रतिलिपि। मौलिक नियम और नियम 56 (संशोधन और वैधता) अधिनियम, 1975 इसके साथ दाखिल किए जा रहे हैं और इस हलफनामे के संलग्नक सीए–3 (कोली) के रूप में चिह्नित किए गए हैं।

5 याचिकाकर्ता के मामले का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री पीयूष गर्ग का तर्क है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की खंड 49 (ओ) (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए "अधिनियम" के रूप में संदर्भित), कानूनों, अध्यादेश और विनियमों का प्रावधान करती है। यह निम्नानुसार हैः–

धारा 49 (ओ)–संख्या, न्यूनतम योग्यता और अनुभव, परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें, में सेवानिवृत्ति की आयु और विश्वविद्यालय या किसी संबद्ध या संबद्ध कॉलेज के

वेतनभोगी कर्मचारियों (शिक्षक नहीं) की अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित प्रावधान और उनकी सेवा के रिकॉर्ड की तैयारी और भरण–पोषण भी शामिल हैं।

6. अधिनियम की खंड 50 के साथ पठित खंड 49 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के उपबंधों के अनुसरण में दिनांक 25 जून, 1978 की अधिसूचना द्वारा हेमवती नन्दन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रथम संविधि (जिसे इसके बाद में संक्षिप्तता के लिए "प्रथम संविधि" के रूप में संदभ्रित किया जा रहा है) को प्रकाशित किया।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता सहित महाविद्यालय और कर्मचारी दोनों अधिनियम और प्रथम संविधि द्वारा निर्देशित हैं।

8 अभिलेख से यह स्पष्ट है कि प्रथम अधिनियम के अध्याय XVII, भाग–I में संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों की सेवाओं की शर्तों का उपबंध है। हमने विनियम 17.01 से लेकर 17.11 तक की सावधानीपूर्वक जांच की है और हम यह नहीं पाते हैं कि विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी भी सहायता प्राप्त कॉलेज के प्रबंधन को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड देने का अधिकार क्षेत्र है।

9. स्वीकृत रूप से इस तरह का प्रावधान केवल मौलिक नियमों में प्रदान किया गया है, न कि विश्वविद्यालय का मार्गदर्शन करने वाले नियमों में। इसके अलावा, अधिनियम की खंड 35 में सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बनाए गए कॉलेजों के अलावा संबद्ध या संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों की सेवा की शर्तों का प्रावधान है।उप–धारा (2) में यह उपबंध है कि किसी शिक्षक को बर्खास्त करने या हटाने या उसे पद से हटाने या किसी अन्य तरीके से दंडित करने के लिए ऐसे महाविद्यालय के प्रबंधन का प्रत्येक निर्णय, उसे सूचित किए जाने से पहले, कुलपति को सूचित किया जाएगा और जब तक कि कुलपति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, तब तक प्रभावी नहीं होगा परन्तु भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (01) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित कॉलेजों के मामले में

किसी भी शिक्षक को पद से हटाने या कम करने या किसी अन्य तरीके से दंडित करने के प्रबंधन के निर्णय के लिए कुलपति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन, उसे सूचित किया जाएगा और जब तक यह संतुष्ट नहीं होता है कि इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है, तब तक निर्णय को प्रभावी नहीं किया जाएगा।

10 इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 10 के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय वीर पुंडिर द्वारा इस मामले में यह स्वीकार किया गया है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के माध्यम से इस तरह के निष्कासन के लिए उनकी सहमति लेना तो दूर की बात है, कॉलेज के प्रबंधन द्वारा ली गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा को कभी भी विश्वविद्यालय के कुलपति को संदर्भित नहीं किया गया है।

11. मामले के उस दृष्टिकोण में, हमारा यह सुविचारित मत है कि प्रत्यर्थी सं. 7 द्वारा अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर आदेश पारित किया गया है, इसलिए, अभिखंडित किया जाना चाहिए।

12. श्री अजय वीर पुंडिर का वैकल्पिक तर्क यह है कि अधिनियम की खंड 60–एफ को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता के वेतन का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया गया था, और चूंकि याचिकाकर्ता को वेतन के भुगतान के लिए राज्य राजकोष पर कर लगाया जा रहा है, इसलिए मूल नियम याचिकाकर्ता पर लागू होंगे।

हम श्री पुंडीर के तर्क से सहमत नहीं हैं क्योंकि

एक कर्मचारी की सेवा नियमों और विनियम जो विधिबद्ध किए गए हैं, या निर्देशित होती है, या अपनाए गए हैं।केवल इसलिए कि कुछ व्यक्तियों के वेतन का भुगतान राज्य के राजकोष से किया जा रहा है, राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों का मार्गदर्शन करने वाला नियम ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।

14. इसके अलावा, यह नियम सरकारी कर्मचारी पर लागू करने के लिए बनाया गया है, और सरकारी कर्मचारी को नियम द्वारा ही परिभाषित किया गया है। नियम 9 का खंड (7–बी) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए सरकारी कर्मचारी को परिभाषित करता है। इसका अर्थ है

भारत में राज्य सरकार के अधीन किसी सिविल पद या सिविल सेवा में नियुक्त और उत्तर प्रदेश (अब उत्तराखंड) के मामलों के संबंध में सेवारत व्यक्ति, जिसकी सेवा की शर्तें अधिनियम की खंड 241 (2) (ख) के अधीन राज्यपाल द्वारा विहित की गई हैं या की जा सकती हैं।

15. हमारी राय है कि याचिकाकर्ता सिविल सेवक नहीं है। उन्हें कभी भी राज्य सरकार के तहत किसी सिविल पद या सिविल सेवा में नियुक्त नहीं किया गया था। बल्कि, उन्हें निजी रूप से बनाए गए कॉलेज की प्रबंधन समिति द्वारा नियुक्त किया गया था, जो राज्य सरकार से सहायता प्राप्त कर रही थी।

16. मामले के उस दृष्टिकोण में, हालांकि विद्वान अधिवक्ता श्री अजय वीर पुंडिर द्वारा प्रस्तुत तर्क, आकर्षक प्रतीत होता है, लेकिन अंतिम विश्लेषण सारही है।

17. मामले का दूसरा पहलू यह है कि याचिकाकर्ता को कभी भी अपना बचाव करने का अवसर नहीं दिया गया था। जैसा कि हमने पहले बताया है कि दिनांक 20.08.2020 को, याचिकाकर्ता को पहली बार दिनांक 21.08.2020 को दोपहर 12.00 बजे, प्रिंसिपल, अर्थात प्रत्यर्थी सं0 10 के सामने उपस्थित होने के लिए नोटिस दिया गया था। उस दिन, उसने अपना बचाव करने के लिए 15 दिनों के समय के लिए प्रार्थना की। हालांकि, दिनांक 24.08. 2020 को, उसे अवसर दिए बिना, कॉलेज के प्रबंधन ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश जारी किया।हमारी राय में यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है।यह कॉलेज के प्रबंधन के अधिनायकवादी रवैये को भी दर्शाता है।

18 मामले के उस दृष्टिकोण से, हम इस रिट याचिका में पर्याप्त योग्यता पाते हैं। इसलिए, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। दिनांक 24.08.2020 के आदेश को रद्द करते हुए सरशियोरेराई की एक रिट जारी की जाती है।

19. हमारे संज्ञान में लाया गया है कि जब यह मामला प्रारंभिक चरण में इस न्यायालय के समक्ष आया, तो इस न्यायालय ने दिनांक 29.09.2020 के एक अंतरिम आदेश के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया कि मूल नियम मौजूदा मामले पर लागू नहीं होता है, और इसलिए, आदेश पर रोक आक्षेपित गई है।प्रबंधन समिति ने अपील करने के लिए विशेष अनुमति (ग)

संख्या (ओं)11960/2020 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। माननीय उच्चतम न्यायालय ने मामले में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन इस न्यायालय को रिट याचिका का जल्द से जल्द निपटान करने का निर्देश दिया।

तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रत्यर्थी (याचिकाकर्ता) दिनांक 29.09.2020 के अंतरिम आदेश के कार्यान्वयन के लिए जोर नहीं डालेगा।

20. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.10.2020 को पारित आदेश के अनुपालन में, याचिकाकर्ता अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रही है, और उसे कोई वेतन नहीं दिया गया है।

21. मामले के उस दृष्टिकोण में, हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को सभी परिणामी सेवा लाभों के साथ तुरंत नियोजन का आदेश दिया जाए। हालांकि, यह आदेश उचित आयु प्राप्त करने पर उनकी सेवानिवृत्ति के लिए कोई बाधा नहीं होगा।

22 इस आदेश की प्रमाणित प्रति नियमों के अनुसार पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को तत्काल जारी की जाए।

(एस0के0 मिश्रा, ए0सी0जे0.)

(आर0सी0 खुल्बे, जे.)

तारीखः01 अप्रैल, 2022

निशांत